भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1847**

**11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न**

**राशन कार्डों का डिजिटलीकरण**

**1847. श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने, जाली/डुप्लीकेट राशन कार्डों को समाप्त करने और लाभार्थियों को निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्डों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में कितने राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कितने फर्जी या अपात्र राशन कार्ड रद्द किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के दौरान बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और डिजिटल रूप से वंचित लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के रूप में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड और लाभार्थी डेटाबेस का पूर्णतः डिजिटलीकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, 99.8% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि, दोहराव को रोकना और सेवा वितरण में सुधार संभव हो पाया है।

राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और डेटा सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ डुप्लिकेट, अपात्र, मृत और स्थायी रूप से पलायन कर चुके लाभार्थियों की पहचान में सहायता मिली है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य ने पिछले तीन वर्षों में 14,61,225 फर्जी या अपात्र राशन कार्ड रद्द किए हैं।

इन उपायों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता सुदृढ़ हुई है, लीकेज में कमी आई है और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

**(ग):** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की पात्रता के कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

*****